

Reference No.

/SIDC/

Dated

-: कार्यालय आदेश :-

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.18 को सम्पन्न 300वीं बैठक में अवस्थापना सुविधाओं एवं अन्य विशिष्ट समस्याओं के कारण भूखण्ड उपयोग में विलम्ब के परिप्रेक्ष्य में आच्छादित समय विस्तारण शुल्क की माफी के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नवत् उच्चस्तरीय समिति गठित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया :-

- | | |
|-------------------------------------------------|---------|
| 1. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक | अध्यक्ष |
| 2. सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित उपायुक्त (जिला उद्योग केन्द्र) | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित अधिशाही अभियंता | सदस्य |
| 5. सम्बन्धित लेखाधिकारी | सदस्य |
| 6. ए0टी0पी0 अनुभाग के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार) | सदस्य |

उपरोक्त समिति आवंटियों द्वारा उल्लिखित विभिन्न समस्याओं का परीक्षण करते हुए समयविस्तारण शुल्क को माफ करने एवं अतिरिक्त समय निशुल्क प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गुण दोष के आधार पर प्रबन्ध निदेशक के समक्ष अपनी संस्तुति देगी। सम्बन्धित एजेण्डा की प्रति संलग्न करते हुये एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी ऐसे प्रकरणों का उक्त एजेण्डा में प्रस्तावित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये उपरोक्तानुसार गठित समिति की संस्तुति मुख्यालय को प्रेषित करेंगे जिस पर अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2039-42/एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17

दि 18-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ0क्षे0 अनुभाग), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
4. गार्ड फाईल

(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

17.12.18